

तहसीलदार डूंगला से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने से पत्रावली सीगट से तबब की गई। तहसीलदार डूंगला से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को शामिल पत्रावली दिया गया। बाद प्रकरण में एक पक्षीय कार्यविधि होने से वकील वादीया ने प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार फाइनल डिक्री किये जाने की सहमति हो गई। इस पर प्राप्त फर्द बेटवाडा का, व न्यायालय हाजि द्वारा जारी डिक्री एवं हुक्मनामा आदेश का अवलोकन किया गया। बाद जॉय अवलोकन के बाद फर्द बेटवाडा न्यायालय के आदेशानुसार ही प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वाह वादीया निम्न प्रकार से फाइनल डिक्री किया जा रहा है।

मौजा-बडवाई-	नाम खोटेदार	आ.नं.	रकबा	कुल
(1)	मंजु, लालिदा	1032/1	0.1656	2.48
	पिता शंकर लाल	434/1	0.1268	0.63
	ब्राह्मण साहेब खसदार			

कुल - 2 0.2924 3.11

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज	नम्बर अहक हुक्म सं जा
(2)	कैलाश, बंशीलाल गगवही मोहनी लक्ष्मी पिता केमार लाल लाला साहब स्वतंदार	1031 0.3613 5.25 1032/2 0.1261 1.90 1034 0.2809 3.61 43412 0.6942 3.19
	किता - 4	1.4685 13.95
(3)	शागलाही तदस्तूर	1033 0.0540 आ.या.
	किता - 1	0.0540 आ.या.
	उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में कमलदशमद डिमा आवे इसी क्षात्राय का डिमी पर्चा अलग से प्रविष्ट होम्न सेलम पत्रावली हो। पत्रावली कैलस शुमार होम्न नम्बर से कम थे। अपलण्ड अधिकारी, रंगला	